भाकृअनुप-केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान
क्षेत्रीय केंद्र-मोदीपुरम, मेरठ (उ.प्र.)
ICAR-Central Potato Research Institute
Regional Station, Modipuram-250110, Meerut (UP)

नीलामी सूचना

प्रजनक एवं प्रायोगिक बीज आलू की नीलामी

इस केन्द्र पर लगभग 400 कुन्टल प्रायोगिक आलू बीज (अवर्गीकृत, अण्डर साईज व ऑवर साईज) और लगभग 1600 कुन्टल आलू प्रजनक (ब्रीडर) बीज (अण्डर साईज, ऑवर साईज व कटा–फटा) आदि की नीलामी दिनांक 10 तथा 11 अप्रैल, 2023 को जैसा है जहां हैं, के आधार पर छोटे छोटे ढेरों (lots) में निम्नानुसार होगीः–

कम संख्या	प्रक्षेत्र का नाम	नीलामी की तिथि व समय	अनुमानित बीज की मात्रा	पंजीकरण / धरोहर राशि राशि
1–	मोदीपुरम एवं पाबली प्रक्षेत्र	10 अप्रैल,2023 प्रातः 10.30 बजे के बाद	प्रायोगिक बीज लगभग 400 कुन्टल एवं प्रजनक बीज लगभग 400 कुन्टल	रू0 10,000/–
2–	मछरी प्रक्षेत्र	11 अप्रैल, 2023 प्रातः 10.30 बजे के बाद	प्रजनक बीज लगभग 1200 कुन्टल	रू0 10,000/–

पंजीकरण राशि उक्त तिथियों में केवल मोदीपुरम प्रक्षेत्र पर **सुबह 8.30 बजे से 10.00 बजे** के बीच जमा की जायेगी। पंजीकरण केवल मोदीपुरम केन्द्र पर ही होगा। नीलामी की शर्तों की जानकारी मौके पर ही दी जायेंगी। नीलामी छूटने पर बीज आलू का भुगतान डिजीटल माध्यम से स्वीकार किया जायेगा। अतः नीलामी प्रतिभागियों को यह सलाह दी जाती है कि कृपया डिजिटल भुगतान हेतु डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड अथवा यूपीआई पेमेंट इत्यादि की व्यवस्था रखें। नीलामी के दिन किसी भी दशा में बीज आलू नहीं उठेगा।

बोली के दौरान कोविड–19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। अध्यक्ष के पास बिना कारण बताये किसी भी बोली/समस्त बोली को रद्द करने का अधिकारी सुरक्षित रहेगा। अन्य नियमों व शर्तों की घोषणा मौके पर की जायेगी ।

असफल बोलीदाताओं की पंजीकरण/धरोहर राशि नीलामी समाप्त होने के बाद वापिस कर दी जायेगी तथा सफल बोलीदाताओं की पंजीकरण राशि पूर्ण भुगतान प्राप्त होने के बाद ही वापिस की जायेगी।

अध्यक्ष

Tele.: 0121-2575497 (O) **Fax**: 0121-2576584; **Email**: cpric.modipuram@gmail.com; cprirs.modipuram@icar.gov.in
Website: http://cpri.icar.gov.in

मोदीपुरम, पाबली एवं मछरी प्रक्षेत्र पर नीलामी की नियम व शर्ते

दिनांक 10 अप्रैल, 2023 को मोदीपुरम व पाबली प्रक्षेत्र एवं दिनांक 11 अप्रैल, 2023 को मछरी प्रक्षेत्र पर प्रजनक बीज एवं प्रायोगिक बीज से बचे आलू की होने वाली नीलामी की नियम व शर्ते-

1. प्रत्येक बोली लगाने वाले को पंजीकरण कराने हेतु **रूपये 10,000/- (रूपये दस हजार मात्र) नगद** धरोहर राशि के रूप में जमा करने होंगे। बिना धरोहर राशि जमा कराये बोली बोलने का अधिकार नहीं होगा।
2. पंजीकरण हेतु टैग् की राशि केवल नगद ही स्वीकार होगी अन्य सभी भुगतान **Online/UPI/Credit Card/Debit Card/RTGS** द्वारा ही मान्य होगा।
3. पंजीकरण स्वयं उपस्थित होकर फोटो पहचान पत्र की स्वहस्ताक्षरित प्रति (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र इत्यादि) के साथ करवाना होगा।
4. केवल पंजीकृत व्यक्ति ही बोली लगाने का हकदार होगा।
5. यदि कोई संस्था व समिति नीलामी में भाग लेना चाहती है तो संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत पत्र पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना होगा।
6. बोलीदाता को स्वयं के टेग न0 से ही बोली लगानी होगी तथा जिस टेग न0 पर बोली छूटेगी उसे ढेर की कीमत का 25 प्रतिशत धन अविलम्ब जमा कराना होगा अन्यथा नीलामी समिति द्वारा संबंधित बोलीदाता को आगे बोली लगाने से रोक दिया जायेगा।
7. बोलीदाता द्वारा ढेर की कीमत की 25 प्रतिशत धनराशि बोली छुटने के दो घंटे के अंदर जमा कराई जानी आवश्यक है अन्यथा की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि बोलीदाता उक्त ढेर को खरीदने का इच्छुक नहीं है और उस ढेर पर बोलीदाता का कोई अधिकार नहीं होगा तथा उस ढेर की अंत दोबारा निलामी कर दी जायेगी।
8. बीज आलू की नीलामी, जहॉ है जैसे है के आधार पर की जायेगी।
9. आलू की बोली छूटने के दिनांक से दो दिन के अन्दर पूर्ण भुगतान करके आलू उठाना होगा अन्यथा बिना किसी पूर्व सूचना के वह ढेर किसी और व्यक्ति को बेच दिया जायेगा और 25 प्रतिशत अग्रिम धनराशि व पंजीकरण शुल्क जब्त कर ली जायेगी।
10. दो दिन के अन्दर माल न उठाने की स्थिति में किसी भी प्रकार की हानि के लिए बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
11. बोली लगाई गई धनराशि इस केन्द्र के खाते (**CPRIC Modipuram, Account No. 10172900089**, **IFSC Code. SBIN0003067, State Bank of India, Palhera Branch, Modipuram,**) में ऑन-लाइन ट्रांसफर करना होगा या कार्य दिवसों में मोदीपुरम स्थित कार्यालय में पी.ओ.एस. मशीन द्वारा भी प्राप्त किया जायेगा।
12. बोली प्रति कुन्तल के हिसाब से लगानी होगी। पचास रूपये से कम बढ़त की बोली मान्य नहीं होगी। बोली पचास रूपये या उसके गुणांक में ही लगानी होगी।
13. फार्म से कोई लेबर/बारदाना नहीं दिया जायेगा।
14. असफल बोलीदाताओं का पंजीकरण शुल्क नीलामी समाप्त होने के पश्चात वापस कर दिया जायेगा।
15. किसी ढेर की बोली ना लगने की स्थिति में आगे के ढ़ेरों की नीलामी प्रक्रिया जारी रखी जायेगी।
16. मण्डी शुल्क या अन्य कोई सरकारी देय यदि होगा तो उसकी देनदारी बोलीदाता की होगी।
17. सभी को सरकार द्वारा जारी कोविड नियमावली का पालन करना अनिवार्य होगा।
18. परिसर में किसी भी प्रकार का अस्त्र/शस्त्रलाना तथा नशीले पदार्थ के सेवन के पश्चातप्रवेश करना मना है।
19. नीलामी के दौरान किसी भी प्रकार की फोटोग्राफी अथवा विडियोग्राफी करना मना है।
20. किसी भी बोली या समस्त नीलामी को रद्द करने का अधोहस्ताक्षरी को पूर्ण अधिकार होगा।

अध्यक्ष